

बिहार सरकार  
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय  
गृह (कारा) विभाग।

प्रेषक,

आनन्द किशोर,

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ

बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक,

मंडल कारा, शिवहर।

पटना, दिनांक 20-3-2016

विषय:- मुख्य शीर्ष-2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्यशीर्ष-00, मांग सं0-22, लघुशीर्ष- 101 जेल, उपशीर्ष-0002 जिला जेल के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में विद्युत प्रभार, मद में निकासी हेतु ₹2,50,000 (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) का अतिरिक्त आवंटन।

विपत्र कोड- N-2056001010002

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक-ब17/बी0एस0जी0-22/2015-295/वि0 दिनांक 24.03.2015, ब/17/बी0एस0जी0-05/2015-396/वि0 दिनांक-24.04.2015, पत्र संख्या-एम-4-09/2014/5294 दिनांक-17.06.2015, पत्र संख्या-बी0एस0जी0-300/15-1047वि0 दिनांक-16.12.2015 एवं ज्ञाप संख्या-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि के अंतर्गत मंडल कारा, शिवहर से प्राप्त अधियाचना के आलोक में उक्त के सामने अंकित अतिरिक्त राशि का आवंटन विद्युत प्रभार मद में स्वीकृत किया जाता है :-

क्र	कारा का नाम	कूट सं0 एवं मद	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	राशि (शब्दों में)
1	मंडल कारा, शिवहर	13 04 विद्युत प्रभार	560000	250000	810000	आठ लाख दस हजार रुपये मात्र
कुल योग			560000	250000	810000	आठ लाख दस हजार रुपये मात्र।

( दो लाख पचास हजार रुपये मात्र)

2. उक्त अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति मुख्य शीर्ष-2056 जेल (गैर योजना), लघु शीर्ष-101 जेल, मांग सं0-22, उपशीर्ष-0002 जिला जेल (विपत्र कोड-एन0 2056001010002) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में बजट उपबंधित राशि के अंतर्गत दी जा रही है।

3. इस आवंटन के अंतर्गत किये जाने वाले व्यय में, बिहार वित्तीय नियमावली, वित्तीय नियमावली 2005 (संशोधित) एवं इनके अंतर्गत निर्गत समस्त नियमों, अनुदेशों तथा वित्त विभाग के ज्ञाप सं0-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998 में निहित अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा आवंटित राशि के व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने, मितव्ययिता बरतने तथा वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु वित्त विभाग सहित विभागीय आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. इस राशि का विकलन मुख्य शीर्ष-2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101 जेल, मांग सं0-22, उपशीर्ष-0002 जिला जेल के तहत होगा। काराधीक्षक को निदेश दिया जाता है कि विपत्रों पर मांग संख्या-22 विपत्र कोड-एन0 2056001010002 में अंकित कूट संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाय, अन्यथा संबंधित कोषागार द्वारा विपत्रों को पारित नहीं किया जायेगा। इसका अनुपालन सख्ती से किया जाय।

5. सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थानों को भुगतान में प्राथमिकता दी जाय।

6. आवंटित राशि से अधिक का व्यय किसी भी परिस्थिति में न किया जाय तथा एक मद से दूसरे मद में राशि का विचलन नहीं किया जाय।

7. प्रत्येक माह की 10 (दस) तारीख तक मासिक व्यय की ईकाईवार विवरणी टी0भी नं0 के साथ अनिवार्य रूप से निरीक्षणालय में उपलब्ध करा दिया जाय। व्यय विवरणी में पूर्व माह का व्यय, वर्तमान माह का व्यय एवं कुल अद्यतन व्यय का उल्लेख अवश्यक किया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बरतने अथवा विलम्ब होने पर इसे वित्तीय अनियमितता मानते हुए आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है।

विश्वासभाजन

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ।

ज्ञापांक— कारा/बजट—(मं0)—02—03/15—121

पटना, दिनांक 30-3-2016

प्रतिलिपि:— महालेखाकर, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ।

ज्ञापांक— कारा/बजट—(मं0)—02—03/15—121

पटना, दिनांक 30-3-2016

प्रतिलिपि:— प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ।

ज्ञापांक— कारा/बजट—(मं0)—02—03/15—121

पटना, दिनांक 30-3-2016

प्रतिलिपि:— संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ।

ज्ञापांक— कारा/बजट—(मं0)—02—03/15—121

पटना, दिनांक 30-3-2016

प्रतिलिपि:— आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ।